



10/11

30/05/23

पत्रावली प्रस्तुत है। प्रार्थी अधिवक्ता अपस्थित  
वकील ~~का~~ वादी के द्वारा मुल वाद ही विद्दी  
किया जा चुका है। ऐसी अवस्था में प्रकरण  
थारटिन हो चुका है, प्रार्थना पत्र निरस्त  
किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर (डू), अजमेर

U M M AM



अनि. पी.सि.त.  
Identified By  
@Bijal.  
मे.र. सिंह  
- 22/05/23  
6015/23

जिसके अन्तर्गत यह हुक्म जारी किया गया है।  
इस हुक्म के अन्तर्गत प्रकरण का निरस्त  
किया जाता है। प्रकरण का नम्बर  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (डू), अजमेर

जिसके अन्तर्गत यह हुक्म जारी किया गया है।  
इस हुक्म के अन्तर्गत प्रकरण का निरस्त  
किया जाता है। प्रकरण का नम्बर  
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (डू), अजमेर